

19

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./121/2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री शैलेन्द्र सिंह	रा०गा०न०वि० शिकारपुर हरिद्वार	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० रांथी पिथौरागढ़	रा०इ०का० चौरिया रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
2	सीमा रावत	रा०उ०मा०वि० पलोटा पौड़ी	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० बसुकेंदर रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० माण्डई पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री रणजीत सिंह	रा०इ०का० गूलरदोगी टिहरी	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० डंगी नैलचामी टिहरी	रा०इ०का० पुरवालादोगी टिहरी	रिक्त पद के प्रति
4	रेखा रावत	रा०इ०का० मवाधार पौड़ी	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० मासों पौड़ी	रा०इ०का० कल्जीखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
5	इन्दु ढौंडियाल	रा०इ०का० बनचूरी पौड़ी	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० चम्पेश्वर पौड़ी	रा०इ०का० चाका टिहरी	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती प्रियंका घनशाला	रा०उ०मा०वि० पिपाया देहरादून	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० पांजणा रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० बुरांसखण्डा देहरादून	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती विनीता चतुर्वेदी	रा०क०उ०मा०वि० कनकपुर नैनीताल	रसायन विज्ञान	रा०क०इ०का० पाये बागेश्वर	रा०इ०का० खुर्पाताल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती अनुमा पंवार	रा०उ०मा०वि० सोहलपुर हरिद्वार	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० बरसूड़ी रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० कासमपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
9	श्री कृष्ण कुमार	रा०इ०का० बेड़धार टिहरी	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० धोपडधार टिहरी	रा०इ०का० बेरनी टिहरी	रिक्त पद के प्रति
10	श्री राजेश कुमार	रा०उ०मा०वि० कोठेरा चम्पावत	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० खैरोली पिथौरागढ़	रा०इ०का० भीताकोटखाल अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11	श्री हरीश श्रीवारतव	रा०इ०का० पश्या, नैनीताल	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० कपकोट बागेश्वर	रा०इ०का० ओखलकाण्डा नैनी.	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती मीना राणा	रा०उ०मा०वि० मुन्धान देहरादून	रसायन विज्ञान	रा०इ०का० श्रीकोट टिहरी	रा०इ०का० कचटा गांगरौ देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)


अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू० सं० सेवा-2/अराज०/36A2-72/2015-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए०डी० बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



(2)

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./120/2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

## "कार्यालय ज्ञाप"

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महेश चन्द्र पन्त	रा०इ०का० तुपेड़ बागेश्वर	संस्कृत	रा०इ०का० वज्यूला बागेश्वर	रा०इ०का० कन्यालीकोट बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
2	श्री विनोद चन्द्र मैन्दोलिया	रा०इ०का० स्यूसी पौड़ी	संस्कृत	रा०इ०का० वेदीखाल पौड़ी	रा०इ०का० रिखणीखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री रुद्रमणि कोठियाल	रा०इ०का० चम्बा टिहरी	संस्कृत	रा०इ०का० नागराजाधार नगुण टिहरी	रा०इ०का० गजा टिहरी	रिक्त पद के प्रति
4	श्री भास्कर चन्द्र पंत	रा०इ०का० काण्डा बागेश्वर	संस्कृत	रा०इ०का० गरूड बागेश्वर	रा०इ०का० काण्डा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
5	श्री राकेश चमोली	रा०इ०का० गढ़ीश्यामपुर देहरादून	संस्कृत	रा०इ०का० ओडाडा टिहरी	रा०इ०का० खांकर टिहरी	रिक्त पद के प्रति
6	श्री ख्याली राम डिमरी	रा०इ०का० देहलवाँरी पौड़ी	संस्कृत	रा०इ०का० उफरैखाल पौड़ी	रा०इ०का० ललूडीखाल टिहरी	रिक्त पद के प्रति
7	श्री गणेश दत्त भट्ट	रा०इ०का० बलुवाकोट पिथौ	संस्कृत	रा०इ०का० देवलथल पिथौ	रा०इ०का० बलुवाकोट पिथौ	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती शोभा देवी	रा०क०उ०मा०वि० राजपुरा नैनीताल	संस्कृत	रा०क०इ०का० बेरीनाग पिथौरागढ़	रा०क०इ०का० तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
9	श्री शंकर दत्त शर्मा	रा०इ०का० शंकरपुर पौड़ी	संस्कृत	रा०इ०का० लेन्सडाउन पौड़ी	रा०इ०का० देवायल सल्ट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	श्री विजय प्रकाश सुन्दरियाल	रा०इ०का० खिरैरीखाल पौड़ी	संस्कृत	रा०इ०का० दुगड़डा पौड़ी	रा०इ०का० रानीपोखरी देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु० सं० सेवा-2/अराज०/3622-41/2015-2016 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(ए०डी० बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./125/2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

"कार्यालय ज्ञाप"

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैण्ड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन वैण्ड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/XXiv-नवसूजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापकों की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दिनेश चन्द्र पंत	रा०उ०मा०वि० जूडकफून अल्मोड़ा	भूगोल	रा०इ०का० शहरफाटक अल्मोड़ा	रा०इ०का० मजखाली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2	श्री दलजीत सिंह पंवार	रा०इ०का० गैरसैण चमोली	भूगोल	रा०इ०का० बछुवाबाग चमोली	रा०इ०का० कलरौं अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3	श्री उमेश चन्द्र	रा०इ०का० दूधली देहरादून	भूगोल	रा०इ०का० नागराजाधार चिलेड़ी टिहरी	रा०इ०का० बैसोगिलानी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
4	श्री मोहम्मद शमीम	रा०इ०का० निसणी पौड़ी	भूगोल	रा०इ०का० सबधरखाल पौड़ी	रा०इ०का० कण्डारा पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
5	श्री मोहन लाल डबराल	रा०इ०का० कण्वघाटी पौड़ी	भूगोल	रा०इ०का० कण्डारा पौड़ी	रा०इ०का० कण्वघाटी पौड़ी	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/3736-50/2015-2016 तद्दिनांक।


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।



-2-

- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न हों।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए0डी0 बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।





कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./119 /2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री योगेन्द्र सिंह रावत	रा०इ०का० बैलपड़ाव नैनीताल	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० सुन्दरखाल नैनीताल	रा०इ०का० क्यारी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2	श्री गिरीश चन्द्र पाठक	सी०आर०सी० समन्वयक अल्मोड़ा	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० स्याकोट बागेश्वर	रा०इ०का० रेंगल अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3	श्री मनोज कुमार पाण्डे	रा०इ०का० रामनगर नैनीताल	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० डोबा बागेश्वर	रा०इ०का० पटरानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4	श्री राकेश जोशी	रा०इ०का० रामगढ़ नैनीताल	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० जौरासी पिथौरागढ़	रा०इ०का० रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
5	श्री भूपाल सिंह	रा०इ०का० कुलानीखाल पौड़ी	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० र्यूंसी पौड़ी	रा०इ०का० कुलानीखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
6	श्री गोपाल सिंह रैक्वाल	रा०इ०का० अमिया नैनीताल	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० मौना नैनीताल	रा०इ०का० पदमपुरी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती निराजना पंत	रा०बा०इ०का० पंतनगर उ०सि०न०	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० खटीमा उ०सि०न०	रा०बा०इ०का० पंतनगर उ०सि०न०	रिक्त पद के प्रति
8	कु० नलिनी गुसाई	रा०क०इ०का० दुगड़डा, पौड़ी	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० लैन्सडाउन पौड़ी	रा०बा०इ०का० दुगड़डा पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती मीरा जोशी	रा०बा०इ०का० द्वाराहाट अल्मोड़ा	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० भिकियासैण अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० द्वाराहाट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	श्री हरिशंकर शर्मा	रा०इ०का० कालाढूगी नैनीताल	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० डेला नैनीताल	रा०इ०का० बजूनिया हल्द्व नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
11	श्री कुण्डल चन्द्र राजन	के०ए०न०यू० रा०इ०का० पिथौरागढ़	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० पिथौरागढ़	रा०इ०का० भड़कटिया पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
12	श्री बलवीर सिंह सजवाण	रा०इ०का० जवाहर नगर मयकोटी रुद्रप्रयाग	अर्थशास्त्र	रा०इ०का० ल्वारा रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० धिमतोली रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)


अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



-2-

पु० सं० सेवा-2/अराज०/3591-3621/2015-2016 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(P. D. B. B. B.)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।





कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./118 /2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

**“कार्यालय ज्ञाप”**

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापकों की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (घटुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रघुनन्दन प्रसाद मिश्र	रा०इ०का० देवाल चमोली	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० छरबा देहरादून	रा०इ०का० मेलखेत चमोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्री वीरेन्द्र कुमार ऋषि	रा०इ०का० सिद्धपुर पौड़ी	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० पाबो पौड़ी	रा०इ०का० सिद्धपुर पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी	रा०इ०का० सुनौली अल्मोड़ा	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० पुभाऊ अल्मोड़ा	रा०इ०का० सुनौली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4	श्री बलराम सिंह कार्की	रा०इ०का० राई आगर पिथौरागढ़	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० सेराघाट पिथौरा	रा०इ०का० जाबुकाथल पिथौरा	रिक्त पद के प्रति
5	देवी प्रसाद नौटियाल	रा०इ०का० सुमाड़ी पौड़ी	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० कल्जीखाल पौड़ी	रा०इ०का० मंजाकोट टिहरी	रिक्त पद के प्रति
6	श्री महिपाल सिंह गुसाई	रा०इ०का० बावई रुद्रप्रयाग	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० श्रीकोटखाल पौड़ी	रा०इ०का० काण्डा भरदार रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
7	श्री इन्दु भूषण सेमवाल	रा०इ०का० तोलीसेण मुखेम, टिहरी	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० नैनबाग टिहरी	रा०इ०का० तोलीसेण मुखेम, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
8	श्री अनूप कुमार भट्ट	रा०इ०का० रतूडा रुद्रप्रयाग	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० पाण्डुकेश्वर चमोली	रा०इ०का० पीड़ा धनपुर रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
9	श्री त्रिलोक सिंह	रा०इ०का० कांसुवा चमोली	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० गोपेश्वर चमोली	रा०इ०का० भगद्वारीखाल दे०दून	रिक्त पद के प्रति
10	श्री भूपाल सिंह रमोला	रा०इ०का० छोई नैनीताल	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० पाटकोट नैनीताल	रा०इ०का० जरसागांजा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
11	श्री अनुसूया प्रसाद भारद्वाज	रा०इ०का० कण्वघाटी पौड़ी	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० लैन्सडाउन पौड़ी	रा०इ०का० जयदेवपुर सिगडडी पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
12	श्री भगवन्त सिंह	रा०इ०का० रुड़की हरिद्वार	नागरिक शास्त्र	रा०इ०का० चमराड़ा देवी टिहरी	रा०इ०का० सिकन्दरपुर भैंसवाल हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति


(एन०के० बहुगुणा)  
अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू० सं० सेवा-2/अराज०/३५६०-१०/2015-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए०डी० बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



7

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./117 /2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ममता रानी	रा०क०इ०का० चौखुटिया अल्मोड़ा	अंग्रेजी	रा०क०इ०का० मासी अल्मोड़ा	रा०क०इ०का० तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2	श्री गिरीश चन्द्र संतोषी	रा०इ०का० श्रीकोटखाल पौड़ी	अंग्रेजी	रा०इ०का० कर्तिया पौड़ी	रा०इ०का० श्रीकोटखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री प्रभाकर यादव	रा०इ०का० खेत पिथौरागढ़	अंग्रेजी	रा०इ०का० थल पिथौरागढ़	रा०इ०का० खेत पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
4	श्री चन्द्रसेन वर्मा	रा०इ०का० पटोटिया पौड़ी	अंग्रेजी	रा०इ०का० किनसुर पौड़ी	रा०इ०का० गूठ गरसाड़ी चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
5	श्री मुकेश वशिष्ठ	रा०इ०का० लक्ष्मणझूला पौड़ी	अंग्रेजी	रा०इ०का० कनेलधार टिहरी	रा०इ०का० सिकरोडा हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
6	श्री जीतसिंह दानू	रा०इ०का० बघर बागेश्वर	अंग्रेजी	रा०इ०का० भटखोला बागेश्वर	रा०इ०का० बघर बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
7	श्री श्याम सुन्दर	रा०उ०मा०वि० सोहलपुर हरिद्वार	अंग्रेजी	रा०इ०का० छाम टिहरी	रा०इ०का० लाठरदेवाहूण हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)


अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/3539-59/2015-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न हों।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए0डी0 बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



9

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 116 /2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैण्ड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापकों की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री लक्ष्मण सिंह सामन्त	रा०इ०का० लोहाघाट चम्पावत	इतिहास	रा०इ०का० छड़नदेव पिथौरागढ़	रा०इ०का० रौशाल चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
2	श्री जगदीश प्रसाद देवराड़ी	रा०इ०का० कोटडीढांग पौड़ी	इतिहास	रा०इ०का० नाहसैंग पौड़ी	रा०इ०का० बिलखेत पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री गिरीश चन्द्र सिंह नेगी	रा०इ०का० चौकुनी अल्मोड़ा	इतिहास	रा०इ०का० भगतोला अल्मोड़ा	रा०इ०का० चौकुनी अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4	श्री राजपाल सिंह चौहान	रा०इ०का० नौगांव उत्तरकाशी	इतिहास	रा०इ०का० पुरोला उत्तरकाशी	रा०इ०का० टिकोची उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
5	श्री जानकी प्रसाद डोभाल	रा०उ०मा०वि० मिन्डाल देहरादून	इतिहास	रा०इ०का० पटोटिया पौड़ी	रा०इ०का० कालसी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
6	श्री जय प्रकाश सिंह	रा०इ०का० भीमताल नैनीताल	इतिहास	रा०इ०का० चित्रेश्वर अल्मोड़ा	रा०इ०का० नौकुचियाताल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति


(एन०के० बहुमुणा)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/3518-38/2015-2016 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

-2-

- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए0डी0 बलादी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



(11)

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./115/2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

"कार्यालय ज्ञाप"

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापकों की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	श्री प्रकाश सिंह रावल	रा०इ०का० आठगांवशिलिंग पिथौरागढ़	गणित	रा०इ०का० मुवानी-दवानी पिथौरागढ़	रा०इ०का० कुम्हार पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2	श्री अब्दुल कयूम शेख	रा०उ०मा०वि० चिवां उत्तरकाशी	गणित	रा०इ०का० बलुवाकोट पिथौरागढ़	रा०इ०का० अधारियाखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री सन्तराम	रा०इ०का० सूखीढांग चम्पावत	गणित	रा०इ०का० बाराकोट चम्पावत	रा०इ०का० बग्घा उधमसिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
4	श्री जगमोहन सिंह असवाल	रा०गा०न०विद्यालय कोटाबाग नैनीताल	गणित	रा०इ०का० कुन्तणी पौड़ी	रा०इ०का० आनन्दचौक टिहरी	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)  
अपर निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/3501-17/2015-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।

- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न हों।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए०डी० बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



13

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./114 /2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापकों की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री ध्यानसिंह रावत	रा०इ०का० हिनौला सल्ट अल्मोड़ा	हिन्दी	रा०इ०का० भिकियासैण अल्मोड़ा	रा०इ०का० नैकणा पैसिया अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2	श्री सुभाष चन्द्र	रा०इ०का० गखर्वा, पिथौरागढ़	हिन्दी	रा०इ०का० झूलाघाट पिथौरागढ़	रा०इ०का० गखर्वा, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
3	श्री मदन मोहन भट्ट	रा०इ०का० झूलाघाट पिथौरागढ़	हिन्दी	रा०इ०का० आठगांवसिलिंग पिथौरागढ़	रा०इ०का० झूलाघाट पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
4	श्री जयदेव प्रसाद जगूड़ी	रा०इ०का० मियांवाला देहरादून	हिन्दी	रा०इ०का० चिन्यालीसौड़ उ०का०	रा०इ०का० माजरीमाफी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
5	डा० हेमचन्द्र पंत	रा०इ०का० गुरंगचौड़ पिथौरागढ़	हिन्दी	रा०इ०का० राई आगर पिथौरागढ़	रा०इ०का० थरकोट पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)  
अपर निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/3482-500 /2015-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए0डी0 बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./122/2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के भिन्न-भिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	रा०इ०का० सिप्टी चम्पावत	जीव विज्ञान	रा०इ०का० नौगांव रीठागाड अल्मोडा	रा०इ०का० जानकीधर चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
2	श्री प्रेमबाबू	रा०उ०मा०वि० तिलाड़ी बागेश्वर	जीव विज्ञान	रा०इ०का० धारचूला पिथौरागढ	रा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
3	श्री जगपाल सिंह चौहान	रा०इ०का० धददी घण्डियाल टिहरी	जीव विज्ञान	रा०इ०का० कल्जीखाल पौड़ी	रा०इ०का० मरखोडा पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
4	श्री दयाल सिंह	रा०उ०मा०वि० नवाडखेडा नैनीताल	जीव विज्ञान	रा०इ०का० धैना बागेश्वर	रा०इ०का० मुक्तेश्वर नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
5	श्री इन्द्रमणि तिवारी	रा०इ०का० बानना नैनीताल	जीव विज्ञान	रा०इ०का० सलानी बागेश्वर	रा०इ०का० हेडाखान नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
6	श्री विवेक चन्द्र पंत	रा०इ०का० सहिया देहरादून	जीव विज्ञान	रा०इ०का० कटखेत नगुण	रा०इ०का० तिमली टिहरी	रिक्त पद के प्रति
7	श्री प्रकाश चन्द्र देवराडी	रा०उ०मा०वि० वाणी विहार देहरादून	जीव विज्ञान	रा०इ०का० छाम टिहरी	रा०इ०का० बुरांसखण्डा देहरादून	रिक्त पद के प्रति
8	श्री सुशील कुमार सक्सेना	रा०उ०मा०वि० नाईसेला नैनीताल	जीव विज्ञान	रा०इ०का० बलुवाकोट पिथौं	रा०इ०का० कनकपुर उ०सि०न०	रिक्त पद के प्रति
9	श्री रवि दत्त सिलोडी	रा०इ०का० खांकरा रुद्रप्रयाग	जीव विज्ञान	रा०इ०का० बुढनालस्या रुद्रप्रयाग	रा०इ०का० काण्डा भरदार रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती लता रेखा रानी जोशी	रा०क०इ०का० अजबपुरकलां, देहरादून	जीव विज्ञान	रा०बा०इ०का० मासी अल्मोडा	रा०बा०इ०का० हरिपुर कालसी देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(एन०के० बहुगुणा)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू० सं० सेवा-2/अराज०/3673-99/2015-2016 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

20/05/15  
(ए०डी० बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड



कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./123/2015-2016 दिनांक 02 मई, 2015

“कार्यालय ज्ञाप”

निदेशालय के विभिन्न आदेशों दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के सहायक अध्यापक/अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4600) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा चयन संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-सामान्य शाखा/महिला शाखा) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में विभिन्न विषयों में मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति पर तैनाती संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। शासनादेश सं० 155/xxiv-नवसृजित/2015-13(18)/2010 दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित विद्यालय के स्थान पर समान अथवा उससे अगली श्रेणी के विद्यालय में संशोधन किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं की पदोन्नति निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित विद्यालय में संशोधित की जाती है। उक्त आदेश पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्त होने, तथा संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पूर्व पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में ही प्रभावी होगा। ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, उन पर उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के नियम लागू होंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	पदोन्नति का विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	संशोधित पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जितेन्द्र सेमवाल	रा०इ०का० सवधारखाल पौड़ी	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० स्योली तल्ली पौड़ी	रा०इ०का० दोन्दल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
2	श्री अखिलेश पच्छमी	रा०इ०का० भटवाड़ी उ०का०	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० आराकोट उ०का०	रा०इ०का० गौरशाली उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री नीरज कुमार	रा०उ०मा०वि० कन्बुआ देहरादून	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० चाकीसैण पौड़ी	रा०इ०का० बैसोगिलानी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
4	श्री राजीव अग्रवाल	रा०इ०का० श्रीकोट टिहरी	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० राधूधार टिहरी	रा०इ०का० श्रीकोट टिहरी	रिक्त पद के प्रति
5	श्री सचिन शर्मा	रा०इ०का० भटखोला बागेश्वर	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० धौलछीना अल्मोड़ा	रा०इ०का० क्यारी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
6	श्री सुनील नौटियाल	रा०इ०का० नैनबाग टिहरी	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० तोलीसेण मुखेम टिहरी	रा०इ०का० कण्डारी उ०का०	रिक्त पद के प्रति
7	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	रा०इ०का० कपरियाणीसैण टिहरी	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० रांथी पिथौरागढ़	रा०इ०का० तिमली टिहरी	रिक्त पद के प्रति
8	श्री कौस्तुभा नन्द जोशी	रा०उ०मा०वि० नायल पिथौरागढ़	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० खेत पिथौरागढ़	रा०इ०का० भिनगड़ी पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
9	श्री यशपाल सिंह	रा०इ०का० जालली अल्मोड़ा	भौतिक विज्ञान	रा०इ०का० लमगड़ा अल्मोड़ा	रा०इ०का० जालली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती अंजना रावत	रा०बा०इ०का० उत्तरकाशी	भौतिक विज्ञान	रा०बा०इ०का० बैलपड़ाव नैनीताल	रा०बा०इ०का० चिन्यालीसौंड उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति


(एन०के० बहुगुणा)

अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू० सं० सेवा-2/अराज०/3700-26/2015-2016 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद।
- (5) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- (6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यदि पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे पदोन्नति पर संशोधित विद्यालय हेतु कदापि कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। पदोन्नति संशोधित विद्यालय में पद रिक्ति की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से कि यदि आप द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उक्त संशोधित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होंगे।
- (8) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(ए०डी० बलोदी)  
संयुक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।